



# डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:-सम्ब०/886/2021 दिनांक:- 31.07.2021

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,

माता झण्डेवालयन एजुकेशन, सिंकन्दरा, आगरा (कालेज कोड-961)

विषय:- माता झण्डेवालयन एजुकेशन, सिंकन्दरा, आगरा को बी०एड० (द्विबर्षीय) शिक्षा संकाय स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्बद्धता के विस्तारण के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या सम्बद्धन/1740(153) दिनांक 15.05.2015 एवं 3864(2) दिनांक 30.06.2017 एवं 6310(02) दिनांक 28.05.2018 तथा 9951(145) दिनांक 29.05.2019 एवं 248 (144) दिनांक 15.07.2020 के द्वारा माता झण्डेवालयन एजुकेशन, सिंकन्दरा, आगरा को शिक्षा संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 01.07.2015 से आगामी दो वर्ष एवं दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 30.06.2018 तक/दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2019 तक तथा दिनांक 01.07.2019 से 30.06.2020 एवं दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सत्र 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन सम्बद्धता समिति के आदेशानुसार माता झण्डेवालयन एजुकेशन, सिंकन्दरा, आगरा को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० (द्विबर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत एन०सी०टी०ई० के तदुक्त में दिनांक 01.07.2021 से एक वर्ष दिनांक 30.06.2022 तक सम्बद्धता का विस्तारण उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र-बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो निम्नवत् है प्रदान किया जाता है:-

## 1. समस्त शिक्षकों का वेतन भुगतान बैंक द्वारा प्रमाणित संलग्न नहीं है।

यह सम्बद्धता विस्तारण दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022 तक बी०एड० (द्विबर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा-

- (1) महाविद्यालय को उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।
- (2) महाविद्यालय द्वारा सर्दर्मित कमियों की पूर्ति कर एक माह अर्थात् 30 अगस्त, 2021 अथवा बी०एड० काउन्सिलिंग 2021 में शामिल होने की तिथि, जो भी पहले हो, की अवधि में प्रवेश की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (3) महाविद्यालय द्वारा एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार छात्र व शिक्षक का अनुपात सदैव बनाये रखा जायेगा अर्थात् एन०सी०टी०ई० रेगुलेशन-2014 दिनांक 28.11.2014 के अनुसार एक यूनिट 50 छात्रों पर 11 शिक्षक एवं दो यूनिट 100 छात्रों पर 16 शिक्षकों का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
- (4) उ०प्र० शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों/आदेशों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) संस्था प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
- (6) संस्थान प्रवेश तथा परीक्षा आदि के सम्बन्ध में समय-समय पर उ०प्र० शासन/विश्वविद्यालय/एन०सी०टी०ई० के दिशा-निर्देशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में करना सुनिश्चित करेगा।
- (7) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों को पूर्ण कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता शर्तें निरन्तर पूर्ण करेगा।
- (8) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुरांगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
- (9) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (10) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है, यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।
- (11) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा तथा संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध मानकों के आधार पर निर्धारित सीट से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगा तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
- (12) संस्था परिसर को रिंगिंग मुक्त रखेगा एवं महाविद्यालय 210 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।
- (13) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर एजुकेशन (ए०आई०एस०एच०ई०) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी०सी०एफ०-11 पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (14) महाविद्यालय द्वारा अग्निशमन का प्रमाण पत्र प्रत्येक दश में तीन माह में विश्वविद्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य है।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, माता झण्डेवालयन एजुकेशन, सिंकन्दरा, आगरा।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी, डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।